

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1417 / 2011 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य.

### उपस्थित ::

श्री रामकरण सिंह,  
उप-राजकीय अधिवक्ता।  
श्री ओ.पी.गुप्ता,  
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....अपीलार्थी की ओर से  
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.07.2015

### निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.20010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 75 / 80 / सी.एस.टी. / 2009-10 / 2010-11 / उपा / अपील्स / अलवर के अन्तर्गत पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा कतिपय निर्देशों के जरिये, प्रकरण प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का निर्धारण वर्ष 2000-01 का निर्धारण आंदेश केन्द्रीय विक्य कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्य कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30, 58, 65 व 68 के तहत दिनांक 31.03.2009 को पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अभिखण्डित कर कायम की गयी मांग राशियों को पुनःर्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.12.2012 की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2010 के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2012 को निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील “सारहीन” हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8। (राज.)
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) सहायक आयुक्त, कार्य संविधि व पट्टा कर, कोटा बनाम् मैसर्स ए.एन.एस. कन्सट्रक्शन लि., कोटा अपील संख्या 213/2009/कोट, निर्णय दिनांक 26.07.2013 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।


7. उप-राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स 119 एस.टी.सी. 576। (राज.)
2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै० होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली 25 आर.टी.जे.एस.79। (आर.टी.टी.)
3. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपील को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी।
4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवं माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स

अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.) तथा कर बोर्ड की रामन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय 38 टैक्स वल्ड 16 के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक 20.12.2012 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील “सारहीन” हो गयी है।

10. परिणामतः अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
2.3.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य